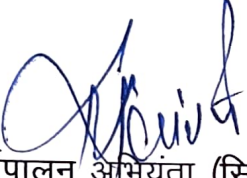


चेक लिस्ट क. 14

चयनित गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि
विवरण

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत प्रकरण 220/132/33 के.व्ही. Substation Dharamjaigarh, Village Hati रकबा 6.823 हे. प्रकरण के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनमण्डल धरमजयगढ़ के परिक्षेत्र छाल परिक्षेत्र नारंगी वनखण्ड भुंडीबहहरी ख.नं. 124/2/क/1 में 8.00हे. एवं नारंगी वनखण्ड पुरुंगा ख.नं. 461/1/क में 6.00 हे. कुल 14.00 हे. क्षेत्र प्रस्तावित होने के कारण आवश्यकता नहीं है।



कार्यापालन अभियंता (सिविल) संभाग

छ0 रा0वि0पारे0कं0मर्या0 रायगढ़



वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित

(उपनिवेश, रायपुर, छत्तीसगढ़)

कार्यपालन अभियंता (सिविल-पारेषण) संभाग, रायगढ़

पता - 220 के.वी. उपकेन्द्र कॉलोनी, कोतरा रोड, रायगढ़ (छ.ग.)

Website: www.csch.gov.in, E-Mail: E.CS@120KV.Raigarh@csch.gov.in, Phone-07762-228119 Fax-...

सी आई एन - 140108C 12003SC 015820

क्र./कार्य/राय/कार्य/108/पति

/रायगढ़, दिनांक 22.02.22

विषय :- रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chhattisgarh State Power Transmission Company Ltd. द्वारा Division of revenue forest land for non-forest purpose under forest conversation Act-1980 proposed for 220/132/33 KV S.S. Dharmanjaya Village Ham. के अंतर्गत रकबा 6.823 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि उपलब्ध कराये जाने का वक्तु निवेदन।

- संदर्भ :-**
- (01) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रकरण का पंजीय क्र. FP/CG/Substation/145951/2021
 - (02) कार्या. कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़ का पत्र क्र. 96 दिनांक 24.01.2022
 - (03) कार्या. महोदय भू अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़ का पत्र क्र. 179 दिनांक 16.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारम्य में निवेदन है कि प्रस्तावित 220/132/33 के.वी. उपकेन्द्र धरमजयगढ़ ग्राम-हाटी निर्माण हेतु गाननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी परिपेक्ष में ग्राम - हाटी पहलू न. 42, खसरा नं. 1015/1क/1 में से 2175 हेक्टेयर व खसरा नं. 1310/1क में से 4648 हे. कुल 6823 हेक्टेयर भूमि का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु श्रीमान् महोदय द्वारा संदर्भ (01) एवं (02) प्रदर्श 'स' एवं अनापति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जा चुका है।

उपरोक्त अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण हेतु 45 बिन्दु प्रोफार्मा तैयार कर वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ को प्रेषित किया जाना है, जिसके अंतर्गत आवेदित विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित रकबा 6.823 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जिले के अंतर्गत समतुल्य राजस्व भूमि उपलब्ध कराया जाना है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उपरोक्त समतुल्य राजस्व भूमि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलमान

क्र./कार्य/राय/कार्य/108/2

प्रतिलिपि

- 1) कार्यपालक निदेशक (सिविल) छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2) अति. मुख्य अभियंता (सिविल) छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
- 3) वनमंडलाधिकारी, वनमंडल धरमजयगढ़, जिला - रायगढ़ (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।

35/3/22

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग,
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायगढ़
रायगढ़, दिनांक 22.02.22

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग,
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायगढ़